

संदर्भ संख्या:
प्लेक्स/सर्किल/162

15/05/2025

प्रति,
प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/
सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

प्लेक्सकौन्सिल की ओर से बधाई!

**विषय: गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) के कार्यान्वयन की तिथि के विस्तार पर इनपुट के लिए अनुरोध -
मोल्डिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण)**

यह उपर्युक्त गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) के संदर्भ में है, जो **24 जून 2025** को प्रभावी होने वाले हैं।

आयात के लिए QCO लागू होने के बाद, इसके दायरे में आने वाले सभी सामानों को निर्दिष्ट भारतीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए और भारत में आयात किए जाने से पहले **BIS प्रमाणन** प्राप्त करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि QCO के अंतर्गत आने वाले किसी भी उत्पाद को भारतीय गुणवत्ता और सुरक्षा विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)** द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त के आलोक में, प्लेक्सकौन्सिल अपने सदस्यों से निम्नलिखित बिंदुओं पर इनपुट मांग रहा है:

1. क्या आपको लगता है कि QCO के कार्यान्वयन के लिए विस्तार की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं)
2. यदि **हाँ**, तो कृपया निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

- (a) अनुरोधित विस्तार का औचित्य या आपके पास कोई स्पष्टीकरण हो सकता है
- (b) मोल्डिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) सामग्री के ग्रेड जिन्हें आप वर्तमान में आयात कर रहे हैं
- (c) अनुपालन के संबंध में आपके आपूर्तिकर्ता/उत्पादक द्वारा सामना किए जा रहे कोई मुद्दे

सदस्यों से अनुरोध है कि वे **20 मई 2025** तक निम्नलिखित ईमेल पतों पर अपने इनपुट प्रस्तुत करें:

- bharti@plexconcil.org
- anirudha@plexconcil.org

संलग्नक खोजने के लिए यहाँ [क्लिक करें](#)।

सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद